न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 114/2017

प्रार्थी
शांतिलाल पुत्र श्री जवेरचंदजी, जाति जैन, निवासी– वराडा, तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
(1)ग्राम पंचायत, मण्डवारिया जरिए सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्डवारिया, तहसील–सिरोही
(2) मीठालाल पुत्र श्री प्रतापराम, जाति–सोनी, निवासी–वराडा, तह. व जिला– सिरोही
(3) आशादेवी पत्नि श्री मीठालाल, जाति–सोनी, निवासी–वराडा, तह. व जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री योगेश कुमार प्रजापत, अप्रार्थी संख्या 2 से 3 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 16 जनवरी, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा अप्रार्थी मीठालाल पुत्र प्रतापराम, जाति– सोनी, निवासी– वराडा के पक्ष में क्षेत्रफल 2450 वर्गफीट भूखण्ड का जारी पट्टा संख्या 94 दिनांक 27.8.1968 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, मण्डवारिया से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड तलब किया गया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से पूर्व में अधिवक्ता श्री प्रकाश प्रजापत उपस्थित हुये। उसके बाद अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश प्रजापत उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 (एक) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, मण्डवारिया के पत्र क्रमांकःग्रापं/2018/97 दिनांक 20.11.2018 से उक्त पट्टा संख्या 94 दिनांक 27.8.1968 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गाँव देलदर, तहसील सिरोही की नई आबादी में प्रार्थी के मालकी तथा कब्जे का भूखण्ड आया हुआ है जिसके भूखण्ड संख्या 60 है एवं प्रार्थी के इस भूखण्ड़ संख्या 60 की चतुर्दशी उत्तर में भूखण्ड संख्या 61 धनराज पुत्र अमीचंदजी, दक्षिण दिशा में भूखण्ड़ संख्या 59 लालचंद पुत्र भूरमलजी, पूर्व दिशा में आम रास्ता व पश्चिम दिशा में सरकारी भूमि है तथा नाप उत्तर–दक्षिण 70 फीट व पूर्व–पश्चिम 35 फीट कुल 2450 वर्गफीट है। उक्त भूखण्ड प्रार्थी के पिता स्वर्गीय जवेरचंद जी जैन ने ग्राम पंचायत, मण्डवारिया से आम निलामी में खरीद किया था तथा निलामी राशि रूपये 103 /– जरिए रसीद क्रमांक 85 दिनांक 28.7.1968 से पंचायत कोष में जमा करवाकर भूखण्ड का कब्जा प्राप्त किया था तब से प्रार्थी [illegible] जवेरचंदजी जैन तथा उनके जीवनकाल से प्रार्थी शांतिलाल अपने स्वा[illegible] के [illegible] नाप व चतुर्दशी के भूखण्ड़ पर काबिज होकर उपयोग व उ[illegible] पिता स्वर्गीय जवेरचंदजी के [illegible] ज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:32:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

हक में उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी किया जाकर विक्रय विलेख दिनांक 04.3.1977 को निष्पादित किया गया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में करवाया गया था जिसके पंजीयन संख्या 97 दिनांक 04.4.1977 है। यह कि जवेरचंद जी का स्वर्गवास हो चुका है तथा उक्त भूखण्ड़ प्रार्थी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है। उक्त भूखण्ड प्रार्थी के कब्जे मालकी का है, जिस पर प्रार्थी अपने पिता के समय से यानि वर्ष 1968 से लगातार काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहा है। प्रार्थी के भूखण्ड के साथ ही अन्य भूखण्डों की निलामी की गई थी, जिसमें प्रार्थी के भूखण्ड को दोनों पड़ोसीयों ने भी निलामी में हिस्सा लेकर भूखण्ड प्राप्त किया था, जिनके विक्रय विलेखों में प्रार्थी का भूखण्ड होना स्पष्ट अंकित किया गया है। प्रार्थी के पड़ोसी धनराज जी व लालचंद जी भी वर्ष 1968 से लगातार अपने भूखण्डों पर मौके पर काबिज है। अप्रार्थी मीठालाल द्वारा वर्ष 1968 में हुई निलामी में कोई भूखण्ड खरीद नही किया था। अप्रार्थी मीठालाल ने ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच से मेलमिलाप कर उक्त पट्टा संख्या 94 वर्ष 1968—69 अपने हक में गलत, फर्जी व कुटरचित तरीके से तैयार कर प्राप्त किया गया है, ऐसा कोई पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी ही नहीं किया गया है, जिससे पट्टा संख्या 94 वर्ष 1968—69 फर्जी व कुटरचित दस्तावेज है। प्रार्थी के पिता स्वर्गीय जवेरचंदजी के साथ ही भूखण्ड़ संख्या 59 का पट्टा लालचंद पुत्र भूरमलजी के नाम से जारी किया गया था, जिसके उत्तर में जवेरचंदजी का भूखण्ड़ अंकित किया गया है, इसी प्रकार भूखण्ड़ संख्या 61 का पट्टा धनराज पुत्र अमीचंद जी के नाम से जारी किया गया है, जिसके दक्षिण में जवेरचंदजी का भूखण्ड़ अंकित किया गया है, जिससे भूखण्ड़ संख्या 60 जवेरचंदजी के स्वामित्व का होना निर्विवाद है, इस भूखण्ड़ के चारों और परकोटा प्रार्थी द्वारा निकाला गया है जो मौके पर मौजूद है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी के भूखण्ड़ संख्या 60 को हडप करने की नियत से तत्कालीन सरपंच व अन्य लोगों के साथ षड़यंत्र कर पट्टा विलेख संख्या 94 फर्जी व कुटरचित तैयार किया है जिसमें पट्टा जारी होने की दिनांक 29 अगस्त, 1968 दर्ज कर भूखण्ड़ निलामी में क्रय किया जाना दर्शाया है, जबकि मीठालाल सोनी की जन्म तिथी दिनांक 14.6.1958 है तथा वर्ष 1968 में मीठालाल सोनी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी, जिससे उसके नाम से निलामी नही हो सकती है, इससे भी स्पष्ट है कि पट्टा संख्या 94 फर्जी व कुटरचित तैयार किया गया है। उक्त फर्जी व कुटरचित तैयार किये गये दस्तावेज पट्टा संख्या 94 की चतुर्दशी में भी उत्तर में धनराज पुत्र अमीचंदजी का मकान अंकित किया गया है तथा दक्षिण में खालसा भूमि अंकित की गई है तथा पश्चिम में 5 फीट की गली अंकित किया गया है, इस चतुर्दशी से मेल खाता कोई भूखण्ड़ मौके पर नही है। केवल मात्र हमारे भूखण्ड़ को हडपने के आशय से उक्त फर्जी व कुटरचित दस्तावेज तैयार किया गया है। मौके पर उक्त भूखण्ड़ के उत्तर में धनराज पुत्र अमीचन्दजी का मकान कभी भी नही रहा है तथा न ही आज मौजूद है। यह कि प्रार्थी द्वारा जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी संख्या—2 के नाम से आलोच्य पट्टा जारी नही किया गया है तथा न ही उक्त पट्टे के संबंध में कोई रेकर्ड, प्रस्ताव आदि ग्राम पंचायत में उपलब्ध है जिससे आलौच्य दस्तावेज फर्जी व कुटरचित होना साबित है। उक्त फर्जी व कुटरचित पट्टा के आधार पर मीठालाल सोनी ने उक्त भूखण्ड़ को अपनी पत्नि के नाम से गलत तरीके से अंतरित कर दिया है। आलोच्य पट्टा संख्या 94 में भूखण्ड़ संख्या अंकित नही है। यह कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जे में दखल करने की धमकीयां दे रहे है, प्रार्थी के भूखण्ड़ पर कब्जा कर निर्माण कार्य करने की धमकीयां दी जा रही है जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। अप्रा[illegible] फर्जी व कुटरचित दस्तावेज की आड में प्रार्थी के भूखण्ड पर [illegible] अप्रार्थीगण व उसके एजेन्टों एवं उसके परिवारजनों [illegible] नही है। जबकि अप्रार्थी संख्या 2

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:32:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय * सिरोही * सत्यमेव जयते

व 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई कि जिसमें यह अंकित किया गया है कि अप्रार्थी सं. 2 मीठालाल सोनी ने अपने पिता हाथों ग्राम पंचायत मण्डवारिया से आम निलामी में खरीद सुदा 70x35= 2450 वर्गफीट नाप का आवासीय भूखण्ड जिसका पट्टा अप्रार्थी सं. 2 मीठालाल सोनी के नाम से ग्राम पंचायत मण्डवारिया द्वारा पट्टा सं. 94 दिनांक 27–08–1969 को जारी किया हुआ है, जिसे अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने किडनी, शुगर हाई बी.पी की गम्भीर बीमारी से ग्रसित होने से वर्ष 2017 में जरिये पंजीकृत बख्सीसनामा से अपनी धर्मपत्नी श्रीमति आशा देवी के नाम से अन्तरण किया एवं उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या– 2 ने परकोटे का निर्माण कार्य भी करवाया था, तथा बाद में अप्रार्थी संख्या–3 ने अपनी आवश्यकतानुसार अपने मालकी स्वामित्व के उक्त कब्जेसुदा पट्टासुदा भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया, तब नारायणसिंह पुत्र विजयसिंह राजपूत, निवासी–देलदर ने उक्त को स्वयं का बताते हुये तथा शांतिलाल से खरीदा हुआ बताते हुये अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के भूखण्ड में चल रहे निमार्ण कार्य में दखलन्दाजी शुरू की तथा उक्त नारायणसिंह राजपूत ने स्वयं को प्रार्थी शांतिलाल के पॉवर ऑफ एटॉनी होल्डर बताकर अप्रार्थी मीठालाल के नाम से जारी पट्टा संख्या 94 को निरस्त करवाने हेतु ग्राम देलदर, ग्राम पंचायत मण्डवारियां में नई आबादी में स्थित अप्रार्थी सं. 2 व 3 के उक्त पट्टासुदा कब्जेसुदा भूखण्ड 2450 वर्गफीट जिसे प्रार्थी के पिता द्वारा वर्ष 1968 में ग्राम पंचायत से निलामी में खरीद किया जताते हुये व बताते हुये निगरानी माननीय न्यायालय में पेश की है। यह कि अप्रार्थी संख्या 3 (आशा देवी) के मालकी स्वामित्व कब्जे सुदा आवासीय भूखण्ड का पट्टा संख्या 94 दिनांक 2708. 1969 को अप्रार्थी मीठालाल के नाम से ग्राम पंचायत मण्डवारिया द्वारा वर्ष 1969 में जारी किया हुआ हैं एवं तब से उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या– 2 व बाद में अप्रार्थी संख्या 3 का का कब्जा निरन्तर निर्बाध आज तक चला आ रहा है तथा जिस पर परकोटे हेतु नींव भराई का निर्माण कार्य भी अप्रार्थी संख्या–2 ने करवाया है, उक्त भूखण्ड का उपयोग उपभोग अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा ही किया जा रहा है, इस प्रकार, उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कब्जा है, तथापि बिना कब्जे एवं स्वामित्व के ही प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के कब्जे स्वामित्व के भूखण्ड को पर जबरन कब्जा कर हड़पने की बदनियति से गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार उक्त निगरानी पेश की है। अप्रार्थी मीठालाल के नाम से पट्टा संख्या 94 वर्ष 1968 को पंचायत द्वारा जारीशुदा उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी मीठालाल सोनी एवं उनकी धर्मपत्नि का ही कब्जा है, इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा दिनांक 05.7.2017 को मौका निरीक्षण कर एक मौका फर्द भी बनाई गयी थी, जिसमें भी अप्रार्थी मीठालाल सोनी का ही कब्जा होना बताया है, उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी पॉवर धारक नारायणसिंह या अन्य किसी भी सख्स का कब्जा नहीं रहा है, प्रार्थी व उसके पॉवर धारक नारायणसिंह द्वारा उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी पट्टाधारक मीठालाल सोनी व उसके परिवार के कब्जे व करवाये गये निर्माण कार्य में बार–बार दखलन्दाजी कर बाधा पैदा की जा रही हैं जिससे व्यथित होकर भूखण्ड के वर्तमान स्वामी अप्रार्थी संख्या–3 (आशादेवी) ने प्रार्थी शान्तिलाल व उसके पॉवर धारक नारायणसिंह के विरुद्ध पर एक वाद वास्ते प्राप्त करने आज्ञापक व्यादेश एवं स्थायी निषेधाज्ञा का सिविल न्यायाधीश, सिरोही के न्यायालय में वाद संख्या 22/2022 प्रस्तुत किया है, जिसमें दर्ज तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थी के कब्जे व उपयोग व उपभोग में दखलन्दाजी नही करने हेतु पाबन्द भी किया गया है। यह कि ग्राम देलदर, ग्राम पंचायत मण्डवारियां, तहसील व जिला सिरोही की आबादी क्षेत्र में अप्रार्थी संख्या–3 के मालकी स्वामित्व कब्जे आधिपत्य का पट्टाशुदा आवासीय भूखण्ड की सम्पति आयी हुई है, जिसका असल पट्टा संख्या 94 दिनांक 27–8–1969 को अप्रार्थी संख्या 3 के

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:32:23 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

पति अप्रार्थी संख्या– 2 (मीठालाल पुत्र प्रतापजी जाति–सोनी, निवासी–वराडा) के नाम से ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा जारी शुदा है, जिसकी चतुर्दशी उत्तर दिशा में धनराज अमीचंद का मकान, दक्षिण दिशा में खालसा प्लोट पूर्व दिशा में गली, आम रास्ता व पश्चिम दिशा में गली है एवं नाप उत्तर–दक्षिण 70 फीट व पूर्व–पश्चिम 35 फीट कुल 2450 वर्गफीट है। इस आवासीय भूखण्ड की सम्पति को अप्रार्थी सख्या– 3 के पति अप्रार्थी श्री मीठालाल पुत्र प्रतापजी सोनी ने अपने पिता के हाथों ग्राम पंचायत मण्डवारियां से आम निलामी में सर्वोच्च बोली रू. 103/– (अक्षरे एक सौ तीन मात्र) प्रतिफल रकम अदा कर खरीद किया था एवं जिसका पट्टा ग्राम पंचायत मण्डवारियां द्वारा अप्रार्थी संख्या– 3 के पति अप्रार्थी सख्या–2 (श्री मीठालाल पुत्र प्रतापजी सोनी, निवासी–वराडा) के नाम से जारी कर कब्जा सुपर्द किया था, एवं अप्रार्थी संख्या–3 के पति अप्रार्थी संख्या– 2 पिछले कई सालों से हाई बी.पी. सुगुर किडनी की बीमारीयों के कारण उक्त प्लोट को जरिये पंजीकृत गिफ्ट डीड अप्रार्थी संख्या– 3 को दान कर दिया। उक्त गिफ्ट डीड उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में क्रम संख्या 1300 पर पंजीकृत है। इस प्रकार, उक्त आवासीय प्लोट की सम्पति वर्तमान में अप्रार्थी संख्या– 3 के एकमात्र कब्जे स्वामित्व की है जिससे प्रार्थीगण को उक्त गिफ्ट डीड निरस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के बजाय राजकोष में न्यायालय शुल्क की अदायगी से बचने हेतु उक्त उक्त निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है, जो कानूनन परिपोषणीय नही है। अप्रार्थी संख्या– 2 व वर्तमान में अप्रार्थी संख्या– 3 उपरोक्त प्लोट का उपयोग उपभोग करती हुई काबिज हैं, तथा अप्रार्थी संख्या–3 के पति के उक्त प्लोट पर उसके पति अप्रार्थी मीठालाल ने कई सालों पहले अपने उक्त मालकी स्वामित्व कब्जे आधिपत्य व पट्टे शुदा प्लोट पर ईंट, पत्थर बजरी इत्यादि निर्माण सामग्री डलवाकर उक्त प्लोट पर नींव भराई कर तीन फीट उंचाई में परकोटा बनाकर निर्माण कार्य भी करवाया हुआ है। अप्रार्थी संख्या–3 के कब्जे आधिपत्य के उक्त प्लोट पर एकमात्र अप्रार्थी संख्या–3, अपने पति मीठालाल के वती निरन्तर व निर्बाध रूप से आज तक बतौर मालिक काबिज है एवं अप्रार्थी संख्या– 3 व उसका परिवार ही उक्त सम्पति का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग प्रार्थी व आमजन की जानकारी में करते आ रहे है। इस प्रकार, उक्त प्लोट अप्रार्थी संख्या–3 के एकमात्र कब्जे स्वामित्व व हक अधिकार की सम्पत्ति हैं। अप्रार्थी संख्या–3 के पति अप्रार्थी मीठालाल पिछले 7–8 सात–आठ साल से शुगर, हाई बी.पी. एवं किडनी की बीमारीयों से ग्रसित होने से उनके ईलाज हेतू मुम्बई, गुजरात लगातार आना–जाना रहता है, जिससे अप्रार्थी संख्या–3 को अपने पति के ईलाज हेतु उसके साथ बाहरगांव रहना पडता है, जिस कारण अप्रार्थी संख्या–3 की अनुपस्थिति में प्रार्थी के पॉवर धारक नारायाणसिंह ने सुनियोजित तरीके से माह दिसम्बर, 2016 में अप्रार्थी संख्या–3 के कब्जे शुदा, पट्टे शुदा उक्त प्लोट को अवैध तरीके से कब्जा करने हेतु भूखण्ड पर अवैध प्रवेश किया, जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या–3 एवं उसके बीमार पति अप्रार्थी संख्या– 2 को होने पर अप्रार्थी संख्या–3 के पति ने प्रार्थी के पॉवर धारक से मिलकर ओलबा दिया व उसके भूखण्ड पर अवैध प्रवेश कर कब्जा नही करने का निवेदन किया, परन्तु प्रार्थी ने इस पर कोई तवज्जो नही दी एवं अप्रार्थी संख्या–3 की बात अनसूनी कर उल्टा अप्रार्थी संख्या– 3 एवं उसके पति के साथ गाली गलौज कर झगड़ा किया, जिस पर अप्रार्थी संख्या–3 के पति, अप्रार्थी मीठालाल सोनी ने नारायणसिंह के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक सिरोही को शिकायत की थी, इसके बाद माह जून, 2017 के अन्तिम सप्ताह में उक्त नारायणसिंह ने पुनः अप्रार्थी संख्या–3 के उक्त प्लोट पर उनकी अनुपस्थिति में अवैध प्रवेश कर कब्जा करने की कोशिश की। जिस पर अप्रार्थी संख्या–3 के पति, अप्रार्थी मीठा[illegible] ग्राम पंचायत, मण्डवारियां से प्रार्थी (नारायणसिंह) की शिकायत [illegible] मण्डवारिया के तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.7.2017 को तत्कालीन [illegible], उप सरपंच एवं वार्ड पंच की

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:32:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

मौका कमेटी गठीत कर गांव के मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में उक्त प्लोट का नाप जोख कर मौका फर्द बनाई तथा प्रार्थी नारायणसिंह को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के उक्त भूखण्ड पर अवैध कब्जा नही करने हेतु हिदायत देकर पाबन्द किया था। यह कि अप्रार्थी संख्या–3 व उसके पति मीठालाल ने अपने कब्जे स्वामित्व के उक्त प्लोट पर सालों पहले बनवाये हुये परकोटा की मरम्मत करने तथा कमरा बनाने हेतु माह फरवरी, 2022 के अन्तिम सप्ताह में ईट पत्थर, बजरी वगैराह निर्माण सामग्री डलवाई, तब प्रार्थी नारायणसिंह ने पुनः अप्रार्थी संख्या–3 व उसके पति के साथ गाली गलौच कर लडाई झगडा किया तथा दिनांक 06.3.2022 को अप्रार्थी संख्या–3 व उसके पति अप्रार्थी मीठालाल के साथ उक्त प्लोट पर साफ–सफाई करवाने लगे, तब प्रार्थी नारायणसिंह ने फोन करके धमकी दी कि प्लोट छोडकर चले जाओ, यह प्लोट मेरा अन्यथा तुम्हारा अन्जाम खराब होगा, जिसकी शिकायत अप्रार्थी संख्या–3 ने दिनांक 08.3.2022 को अप्रार्थी ग्राम पंचायत, मण्डवारिया एवं पुलिस अधीक्षक सिरोही को परिवाद पेश कर की, जिस पर पुलिस थाना बरलूट द्वारा भी बाद जांच उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कब्जा मानकर जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक सिरोही को पेश की है। अप्रार्थी संख्या–2 (मीठालाल सोनी) ने अपने पिता के हाथों ग्राम पंचायत, मण्डवारिया से आम निलामी में खरीद शुदा 70x35=2450 वर्गफीट नाप का आवासीय भूखण्ड, जिसका पट्टा अप्रार्थी मीठालाल सोनी के नाम से ग्राम पंचायत मण्डवारिया द्वारा पट्टा संख्या 94 दिनांक 27.8.1969 को जारी किया हुआ है तथा जिसे बाद में अप्रार्थी संख्या– 2 ने अपनी गम्भीर बीमारी के चलते अपनी धर्मपत्नि अप्रार्थी संख्या–3 श्रीमति आशादेवी को जरिये पंजीकृत बख्सीसनामा अन्तरण कर दिया है, उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का ही कब्जा स्वामित्व व उपयोग उपभोग हैं, उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी शांतिलाल या उसके पॉवर धारक नारायणसिंह का कोई लेना देना नही हैं, परन्तु फिर भी बिना किसी हक अधिकार के बिना कब्जे व स्वामित्व के उक्त भूखण्ड को हडपने व कब्जा करने की बदनियति से उक्त निगरानी आवेदन पेश किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा अप्रार्थी मीठालाल पुत्र प्रतापराम सोनी, जाति– सोनी, निवासी– वराड़ा के पक्ष में पट्टा संख्या 94 दिनांक 27.8.1968 को जारी किया गया है, जिसकी चतुर्दशी पूर्व में गली 18 फुट आम रास्ता, पश्चिम 5 फुट गली, उत्तर में धनराज अमीचन्द का मकान व दक्षिण में खालसा जमीन अंकित है। प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत पट्टा संख्या 94 दिनांक 27.8.1968 की छाया प्रति में इस पट्टा संख्या 94 में क्षेत्रफल 2450 वर्गफीट अंकित किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया से प्राप्त उक्त पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि पुस्त भाग पर चुतर्दशी अंकित की हुई है, जो उक्तानुसार ही है, लेकिन क्षेत्रफल अंकित किया हुआ नही है। इस पट्टा संख्या 94 से संबंधित भूखण्ड़ को आम नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जाना पट्टे में दर्शाया है।

इस संबंध में प्रार्थी निगरानीकार का कथन है कि "गाँव देलदर, तहसील सिरोही की नई आबादी में प्रार्थी के मालकी तथा कब्जे का भूखण्ड आया हुआ है जिसके भूखण्ड़ संख्या 60 है एवं प्रार्थी के इस भूखण्ड़ संख्या 60 की चतुर्दशी उत्तर में भूखण्ड संख्या 61 धनराज पुत्र अमीचंदजी, दक्षिण दिशा में भूखण्ड़ संख्या 59 लालचंद पुत्र भूरमलजी, पूर्व दिशा में आम रास्ता व पश्चिम दिशा में सरकारी भूमि है तथा नाप उत्तर–दक्षिण 70 फीट [illegible] 2450 वर्गफीट है। उक्त भूखण्ड प्रार्थी के पिता स्वर्गीय जवेरचंद जी [illegible] पंचायत, मण्डवारिया से आम निलामी में खरीद किया था तथा [illegible] रसीद क्रमांक 85 दिनांक

.....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:32:23 IST
Reason: SelfAttested

28.7.1968 से पंचायत कोष में जमा करवाकर भूखण्ड का कब्जा प्राप्त किया था तब से प्रार्थी के पिता जवेरचंदजी जैन तथा उनके जीवनकाल से प्रार्थी शांतिलाल अपने स्वामित्व के उक्त नाप व चतुर्दशी के भूखण्ड़ पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहा है। प्रार्थी के पिता स्वर्गीय जवेरचंदजी के हक में उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी किया जाकर विक्रय विलेख दिनांक 04.3.1977 को निष्पादित किया गया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में करवाया गया था जिसके पंजीयन संख्या 97 दिनांक 04.4.1977 है।'' प्रार्थी निगरानीकार का यह भी कथन है कि ''प्रार्थी के पिता स्वर्गीय जवेरचंदजी के साथ ही भूखण्ड़ संख्या 59 का पट्टा लालचंद पुत्र भूरमलजी के नाम से जारी किया गया था, जिसके उत्तर में जवेरचंदजी का भूखण्ड़ अंकित किया गया है, इसी प्रकार भूखण्ड़ संख्या 61 का पट्टा धनराज पुत्र अमीचंद जी के नाम से जारी किया गया है, जिसके दक्षिण में जवेरचंदजी का भूखण्ड़ अंकित किया गया है, जिससे भूखण्ड़ संख्या 60 जवेरचंदजी के स्वामित्व का होना निर्विवाद है, इस भूखण्ड़ के चारों और परकोटा प्रार्थी द्वारा निकाला गया है जो मौके पर मौजूद है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी के भूखण्ड़ संख्या 60 को हडप करने की नियत से तत्कालीन सरपंच व अन्य लोगों के साथ षड़यंत्र कर पट्टा विलेख संख्या 94 फर्जी व कुटरचित तैयार किया है जिसमें पट्टा जारी होने की दिनांक 29 अगस्त, 1968 दर्ज कर भूखण्ड़ निलामी में क्रय किया जाना दर्शाया है, जबकि मीठालाल सोनी की जन्म तिथी दिनांक 14.6.1958 है तथा वर्ष 1968 में मीठालाल सोनी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी।''

प्रार्थी निगरानीकार द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित उक्त कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा जवेरचंद, रतनचंद पुत्र वरदाजी, निवासी– वराडा को आम नीलामी के माध्यम से भूखण्ड़ संख्या 60 (जिसका क्षेत्रफल 70X35 कुल क्षेत्रफल 2450 वर्गफीट है) का विक्रय किया गया था जिसकी नीलामी राशि रुपये 103/– ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया में रसीद संख्या 85 दिनांक 28.7.1968 के द्वारा जमा करवाये गये थे एवं इस भूखण्ड़ संख्या 60 का विक्रय विलेख दिनांक 04.3.1977 को निष्पादित किया गया था, जो उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में पंजीयन हेतु दिनांक 04.4.1977 को प्रस्तुत किया गया, जिसके पंजीयन संख्या 97 दिनांक 06.4.1977 है एवं इसमें भूखण्ड़ 60 की चतुर्दशी उत्तर में धनराज अमीचन्द का प्लॉट, दक्षिण में लालचन्द भूरमल का प्लॉट, पूर्व में रास्ता 18 फीट व पश्चिम में सरकारी जमीन अंकित है। इसी तरह, ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा भूखण्ड़ संख्या 59 का लालचंद पुत्र भूरमलजी जैन, निवासी– वराडा को विक्रय कर विक्रय विलेख दिनांक 12.7.1976 को निष्पादित किया गया था, जो उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में पंजीकृत है एवं इसके पंजीयन संख्या 558 दिनांक 06.9.1976 है, इसमें भूखण्ड़ संख्या 59 के पूर्व में रास्ता 18 फीट, पश्चिम में सरकारी जमीन, उत्तर में उत्तर दिशा में जवेरचन्द रतनचन्द का प्लॉट व दक्षिण में मगनलाल भूरमलजी का प्लॉट अंकित किया हुआ है। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा भूखण्ड़ संख्या 61 का सोनी धनराज अमीचन्दजी, निवासी– वराडा को विक्रय कर विक्रय विलेख दिनांक 15.9.1976 को निष्पादित किया गया था, जो उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में पंजीकृत है एवं इसके पंजीयन संख्या 669 दिनांक 27.11.1976 है, इसमें भूखण्ड़ संख्या 61 के उत्तर में सरकारी जमीन, दक्षिण में जवेरचन्द रतनचन्द का प्लॉट, पूर्व में 18 फीट व पश्चिम में सरकारी जमीन अंकित की है। इस प्रकार, प्रार्थी निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी शांतिलाल के पिता जवेरचंद, रतनचंद पुत्र वरदाजी, निवासी– वराड़ा के पट्टेशुदा भूखण्ड़ संख्या 60 के उत्तर में धनराज अमीचन्द का प्लॉट संख्या 61 एवं दक्षिण दिशा में लालचन्द भूरमल का प्लॉट संख्या 59 स्थित है, जो धनराज

.....पेज सात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:32:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

अमीचन्द के भूखण्ड़ संख्या 61 के विक्रय विलेख में अंकित दक्षिण दिशा की चतुर्दशी व लालचंद भूरमल जी के भूखण्ड़ संख्या 59 के उत्तर दिशा की चतुर्दशी से मेल खाती है। इस प्रकार, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित होता है कि प्रार्थी निगरानीकार शांतिलाल के पिता जवेरचंद जी व रतनचंद जी पुत्र वरदाजी, निवासी– वराड़ा द्वारा आम नीलामी में उक्त भूखण्ड़ संख्या 60 को क्रय किया गया, जिसकी नीलामी राशि रुपये 103/– रसीद संख्या 85 दिनांक 28.7.1968 के द्वारा पंचायत कोष में जमा करवाई गई थी एवं इस भूखण्ड़ संख्या 60 का विक्रय विलेख दिनांक 04.3.1977 को निष्पादित किया गया था जो उप पंजीयन कार्यालय, सिरोही में पंजीयन संख्या 97 पर पंजीकृत है, लेकिन ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा प्रार्थी के पिता जवेरचंद व रतनचंद जी पुत्र वरदाजी, निवासी– वराड़ा द्वारा भूखण्ड़ संख्या 60 को ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया से आम नीलामी में क्रय करने एवं नीलामी की राशि पंचायत कोष में दिनांक 28.7.1968 को जमा करवाने के बाद इस पट्टेशुदा भूखण्ड़ संख्या 60 का ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी मीठालाल पुत्र प्रताप जी सोनी, निवासी– वराड़ा के पक्ष में पट्टा संख्या 94 दिनांक 27.8.1968 को पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नही है। जब, ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा उक्त भूखण्ड़ संख्या 60 को श्री जवेरचंद व रतनचंद पुत्र वरदाजी, निवासी– वराड़ा को आम नीलामी में विक्रय कर दिया था व इस नीलामी की राशि दिनांक 28.7.1968 को पंचायत कोष में जमा हा गई थी तो इस विक्रय किये गये भूखण्ड़ संख्या 60 का ग्राम पंचायत को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी करने का कानूनन कोई हक अधिकार नही था। प्रकरण में प्रार्थी निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज जन आधार योजना Acknowledgement slip की छाया प्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मीठालाल पुत्र प्रताप जी सोनी की जन्म तिथि इस दस्तावेज में 14.6.1958 अंकित है, जबकि अप्रार्थी मीठालाल पुत्र प्रताप जी सोनी को ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा पट्टा संख्या 94 से संबंधित भूखण्ड़ को आम नीलामी में विक्रय किया जाना दर्शाते हुए पट्टा संख्या 94 दिनांक 27.8.1968 को जारी किया गया है, उस समय अप्रार्थी मीठालाल पुत्र प्रताप जी सोनी की आयु मात्र 10 वर्ष 2 माह ही थी। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन सारवान होने व साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा जारी अप्रार्थी मीठालाल पुत्र प्रताप जी सोनी, निवासी– वराड़ा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 94 दिनांक 27.8.1968 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने व साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी मीठालाल पुत्र प्रताप जी सोनी, निवासी– वराड़ा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 94 दिनांक 27.8.1968 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16 जनवरी, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:32:23 IST
Reason: SelfAttested